

benefitted by the rule which guaranteed to them 12½ per cent representation was true. In answer to the question the Hon'ble the Home Minister was pleased to say that my charge was baseless. Subsequently for some reason—it may be for satisfying the qualms of his conscience—he, I am informed, sent round a circular to the various Departments of the Government of India asking them to report how many Scheduled Caste candidates had been recently recruited in Government service. I am informed that most Departments said in reply 'NIL' or nearly nil. If my information is correct, I need make no commentary on the answer given by the Hon'ble the Home Minister.

From my early childhood I have dedicated myself to the upliftment of the Scheduled Castes among whom I was born. It is not that there were no temptations in my way. If I had considered my own interests, I could have been anything I wanted to be and if I had joined the Congress I would have reached to the highest place in that organization. But as I said, I had dedicated myself to the upliftment of the Scheduled Castes and I have followed the adage which says that it is better to be narrow-minded if you wish to be enthusiastic about a cause which you wish to accomplish. You can therefore, well imagine what pain it has caused me to see that the cause of the Scheduled Castes has been relegated to the limbo of nothing.

The third matter which has given me cause, not merely for dissatisfaction but for actual anxiety and even worry, is the foreign policy of the country. Any one, who has followed the course of our foreign policy and along with it the attitude of other countries towards India, could not fail to realize the sudden change that has taken place in their attitude towards us. On 15th of August 1947 when we began our life as an independent country, there was no country which wished us ill. Every country in the world was our friend. Today, after four years, all our friends have deserted us. We have no friends left. We have alienated ourselves. We are pursuing a lonely furrow with no one even to second our resolutions in the U.N.O. When I think of our foreign policy, I am reminded of what Bismark and Bernard Shaw have said. Bismark has said that "politics is not a game of realizing the ideal. Politics is the game of the possible." Bernard Shaw not very long ago said that good ideals are good but one must not forget that it is often dangerous to be too good. Our foreign policy is in complete opposition to these words of wisdom uttered by two of the world's greatest men.

How dangerous it has been to us this policy of doing the impossible and of being too good is illustrated by the great drain on our resources made by our military expenditure, by the difficulty of getting food for our starving millions and by difficulty of getting aid for the industrialization of our country.

Out of 350 crores of rupees of revenue we raise annually, we spend about Rs. 180 crores of rupees on the Army. It is a colossal expenditure which has hardly any parallel. This colossal expenditure is the direct result of our foreign policy. We have to foot the whole of our Bill for our defence ourselves because we have no friends on which we can depend for help in any emergency that may arise. I have been wondering whether this is the right sort of foreign policy.

Our quarrel with Pakistan is a part of our foreign policy about which I feel deeply dissatisfied. There are two grounds which have disturbed our relations with Pakistan—one is Kashmir and the other is the condition of our people in East Bengal. I felt that we should be more deeply concerned with East Bengal where the condition of our people seems from all the newspapers intolerable than with Kashmir. Notwithstanding this we have been staking our all on the Kashmir issue. Even then I feel that we have been fighting on an unreal issue. The issue on which we are fighting most of the time is, who is in the right and who is in the wrong. The real issue to my mind is not who is in the right but what is right. Taking that to be the main question, my view has always been that the right solution is to partition Kashmir. Give the Hindu and Buddhist part to India and the Muslim part to Pakistan as we did in the case of India. We are really not concerned with the Muslim part of Kashmir. It is a matter between the Muslims of Kashmir and Pakistan. They may decide the issue as they like. Or if you like, divide it into three parts; the Cease-fire zone, the Valley and the Jammu-Ladhak Region and have a plebiscite only in the Valley. What I am afraid of is that in the proposed plebiscite, which is to be an overall plebiscite, the Hindus and Buddhists of Kashmir are likely to be dragged into Pakistan against their wishes and we may have to face the same problems as we are facing today in East Bengal.

I will now refer to the Fourth matter which has a good deal to do with my resignation. The Cabinet has become a merely recording and registration office of decisions already arrived at by Committees. As I have said, the Cabinet now works by Committees.

ANNEXURE I

1323

There is a Defence Committee. There is a Foreign Committee. All important matters relating to Foreign affairs are dealt with by it. All matters relating to Defence are disposed of by the Defence Committee. The same members of the Cabinet are appointed by them. I am not a member of either of these Committees. They work behind an iron curtain. Others who are not members have only to take joint responsibility without any opportunity of taking part in the shaping of policy. This is an impossible position.

I will now deal with a matter which has led me finally to come to the decision that I should resign. It is the treatment which was accorded to the Hindu Code. The Bill was introduced in this House on the 11th April 1947. After a life of four years, it was killed and died unwept and unsung, after 4 clauses of it were passed. While it was before the House, it lived by fits and starts. For full one year the Government did not feel it necessary to refer it to a Select Committee. It was referred to the Select Committee on 9th April 1948. The Report was presented to the House on 12th August 1948. The motion for the consideration of the Report was made by me on 31st August 1948. It was merely for making the motion that the Bill was kept on the Agenda. The discussion of the motion was not allowed to take place until the February Session of the year 1949. Even then it was not allowed to have a continuous discussion. It was distributed over 10 months, 4 days in February, 1 day in March and 2 days in April 1949. After this, one day was given to the Bill in December 1949, namely the 19th December on which day the House adopted my motion that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration. No time was given to the Bill in the year 1950. Next time the Bill came before the House was on 5th February 1951 when the clause by clause consideration of the Bill was taken. Only three days 5th, 6th and 7th of February were given to the Bill and left there to rot.

This being the last Session of the present Parliament, Cabinet had to consider whether the Hindu Code Bill should be got through before this Parliament ended or whether it should be left over to the new Parliament. The Cabinet unanimously decided that it should be put through in this Parliament. So the Bill was put on the Agenda and was taken up on the 17th September 1951 for further clause by clause consideration. As the discussion was going on the Prime Minister put forth a new proposal, namely, that the Bill as a whole may not be got through within the time available and that it was desirable to get a part of it enacted into law rather

than allow the whole of it to go to waste. It was a great wrentch to me. But I agreed, for, as the proverb says “it is better to save a part when the whole is likely to be lost”. The Prime Minister suggested that we should select the Marriage and Divorce part. The Bill in its truncated form went on. After two or three days of discussion of the Bill the Prime Minister came up with another proposal. This time his proposal was to drop the whole Bill even the Marriage and Divorce portion. This came to me as a great shock—a bolt from the blue. I was stunned and could not say anything. I am not prepared to accept that the dropping of this truncated Bill was due to want of time. I am sure that the truncated Bill was dropped because other and more powerful members of the Cabinet wanted precedence for their Bills. I am unable to understand how the Benaras and Aligarh University Bills, how the Press Bill could have been given precedence over the Hindu Code even in its attenuated form? It is not that there was no law on the Statute Book to govern the Aligarh University or the Benaras University. It is not that these Universities would have gone to wreck and ruins if the Bills had not been passed in this session. It is not that the Press Bill was urgent. There is already a law on the Statute Book and the Bill could have waited. I got the impression that the Prime Minister, although sincere, had not the earnestness and determination required to get the Hindu Code Bill through.

In regard to this Bill I have been made to go through the greatest mental torture. The aid of Party Machinery was denied to me. The Prime Minister gave freedom of Vote, an unusual thing in the history of the Party. I did not mind it. But I expected two things. I expected a party whip as to time limit on speeches and instruction to the Chief Whip to move closure when sufficient debate had taken place. A whip on time limit on speeches would have got the Bill through. When freedom of voting was given there could have been no objection to have given a whip for time limit on speeches. But such a whip was never issued. The conduct of the Minister for Parliamentary Affairs, who is also the Chief Whip of the Party in connection with the Hindu Code, to say the least, has been most extraordinary. He has been the deadliest opponent of the Code and has never been present to aid me by moving a closure motion. For days and hours filibustering has gone on a single clause. But the Chief Whip, whose duty it is to economise Government time and push on Government Business, has been systematically absent when the Hindu Code has been under consideration in the House. I have never seen a case of a Chief Whip so disloyal to the Prime Minister and a Prime Minister so loyal to a disloyal Whip.

ANNEXURE I

1325

Notwithstanding this unconstitutional behaviour, the Chief Whip is really a darling of the Prime Minister. For notwithstanding his disloyalty he got a promotion in the Party organization. It is impossible to carry on in such circumstances.

It has been said that the Bill had to be dropped because the opposition was strong. How strong was the opposition ? This Bill has been discussed several times in the Party and was carried to division by the opponents. Every time the opponents were routed. The last time when the Bill was taken up in the Party Meeting, out of 120 only 20 were found to be against it. When the Bill was taken in the Party for discussion, 44 clauses were passed in about 3½ hours time. This shows how much opposition there was to the Bill within the Party. In the House itself there have been divisions on three clauses of the Bill—2, 3 and 4. Every time there has been a overwhelming majority in favour even on clause 4 which is the soul of the Hindu Code.

I was therefore, quite unable to accept the Prime Minister's decision to abandon the Bill on the ground of time. I have been obliged to give this elaborate explanation for my resignation because some people have suggested that I am going because of my illness. I wish to repudiate any such suggestion. I am the last man to abandon my duty because of illness.

It may be said that my resignation is out of time and that if I was dissatisfied with the Foreign Policy of the Government and the treatment accorded to Backward Classes and the Scheduled Castes I should have gone earlier. The charge may sound as true. But I had reasons which held me back. In the first place, most of the time I have been a member of the Cabinet, I have been busy with the framing of the Constitution. It absorbed all my attention till 26th January 1950 and thereafter I was concerned with the Peoples' Representation Bill and the Delimitation Orders. I had hardly any time to attend to our Foreign Affairs. I did not think it right to go away leaving this work unfinished.

In the second place, I thought it necessary to stay on, for the sake of the Hindu Code. In the opinion of some it may be wrong for me to have held on for the sake of the Hindu Code. I took a different view. The Hindu Code was the greatest social reform measure ever undertaken by the Legislature in this country. No law passed by the Indian Legislature in the past or likely to be passed in the future can be compared to it in point of its significance.

To leave inequality between class and class, between sex and sex which is the soul of Hindu Society untouched and to go on passing legislation relating to economic problems is to make a farce of our Constitution and to build a palace on a dung heap. This is the significance I attached to the Hindu Code. It is for its sake that I stayed on notwithstanding my differences. So if I have committed a wrong it is in the hope of doing some good. Had I no ground for such a hope, for overcoming the obstructionist tactics of the opponents? I would like in this connection to refer only to three of the statements made by the Prime Minister on the floor of the House.

On 28th November, 1949 the Prime Minister gave the following assurance. He said :

“What is more, the Government is committed to this thing (Hindu Code). It is going through with it.”

*

*

*

*

“Government would proceed with that. It is for this House to accept a measure, but if a Government takes an important measure and the House rejects it, the House rejects that Government and the Government goes and another Government comes in its place. It should be clearly understood that this is one of the important measures to which the Government attaches importance and on which it will stand or fall.”

Again on 19th December 1949, the Prime Minister said :

“I do not wish the House to think in the slightest degree that we consider that this Hindu Code Bill is not of importance, because we do attach the greatest importance to it, as I said, not because of any particular clause or anything, but because of the basic approach to this vast problem in problems, economic and social. We have achieved political freedom in this country, political independence. That is a stage in the journey, and there are other stages, economic, social and other and if society is to advance, there must be this integrated advance on all fronts.”

On the 26th September 1951 the Prime Minister said :

“It is not necessary for me to assure the House of the desire of Government to proceed with this measure in so far as we can proceed with it within possibilities, and so far as we are concerned we consider this matter as adjourned till such time as the next opportunity—I hope it will be in this Parliament—offers itself.

ANNEXURE I

1327

This was after the Prime Minister had announced the dropping of the Bill. Who could not have believed in these pronouncements of the Prime Minister ? If I did not think that there could be a difference between the promises and performances of the Prime Minister the fault is certainly not mine. My exit from the Cabinet may not be a matter of much concern to anybody in this country. But I must be true to myself and that I can be only by going out. Before I do so I wish to thank my colleagues for the kindness and courtesy they have shown to me during my membership of the Cabinet. While I am not resigning my membership of Parliament I also wish to express my gratitude to Members of Parliament for having shown great tolerance towards me.

New Delhi,
10th October 1951

B. R. AMBEDKAR

BLANK

Annexure II

Government of India, through its Publication Division had published a book by name 'Hindu Code Bill and its purpose' in Hindi language during the 50s. This book contained two speeches of Dr. Ambedkar delivered in the Constituent Assembly, Press reports of the speeches against the Code by Shankaracharya of Jyotirmath and Swami Karpatriji; and the articles supporting the Code by an eminent Vedic Scholar Pandit Dharmadeo Vidyavachaspati. The book also included text of the Hindu Code along with the press-reports supporting it.

It has been felt by the Committee Members that the inclusion of articles by Dharmadeo Vidyavachaspati from the Hindi book in the present volume would be of utmost help to the reader to understand how the reform introduced by Dr. Ambedkar had the support of the Hindu scriptures also. I hope students and scholars alike would benefit by these articles.

—*Editor*

BLANK

Annexure II

(हिन्दू कोड बिल पर कुछ विचार-1)

हिन्दू कोड बिल हिन्दुत्व का रक्षक है

पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति

[वेदों क सुप्रसिद्ध विद्वान् पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति उन थोड़े से व्यक्तियों में हैं जिनके जीवन का अधिकांश समय वेदों एवं आर्यों के प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों के अनुशीलन और अनुसन्धान में बीता है। पिछले दिनों उनकी एक लेखमाला दिल्ली के सुप्रसिद्ध हिन्दी दैनिक “वीर अर्जुन” में प्रकाशित हुई थी जिसमें उन्होंने प्राचीन स्मृतियों, वेदों तथा शास्त्रों के प्रमाण एवं उद्धरण देकर हिन्दू बिल के विविध विधानों का सारभित विवेचन किया है । विचारशील पाठकों के लिए “वीर अर्जुन” की स्वीकृति से यह लेख माला यहां पुनः प्रकाशित की जा रही है]

भारत सरकार के विधान-सचिव माननीय डा. भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय राष्ट्र संसद् व पार्लियामेण्ट में प्रस्तुत ‘हिन्दू कोड बिल’ के विरुद्ध घोर आन्दोलन किया जा रहा है । देहली में भी एक हिन्दू कोड विरोधी सम्मेलन हो चुका है जिसमे मुख्य नारा यह लगाया गया कि इससे धर्म तथा संस्कृति का सर्वनाश हो जायेगा। मैं प्रारम्भ में ही इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं हिन्दू कोड बिल का सर्वांश में समर्थक नहीं हूँ। इसमें अनेक संशोधनों की आवश्यकता है, ऐसा भी मेरा विचार है किन्तु मुझे यह देख कर दुख होता है कि इस बिल के सम्बन्ध में असत्य प्रचार बहुत अधिक किया जा रहा है । प्रायः इसके विरोधी ऐसे हैं जिन्होंने ध्यानपूर्वक बिल की धाराओं को पढ़ने का कभी कष्ट नहीं उठाया और वे ‘हिन्दूधर्म और संस्कृति संकट में’ इस नारे को लगा कर सर्वसाधारण जनता को उत्तेजित करने का अनुचित प्रयत्न कर रहे हैं । मैं स्वयं वेदादि सत्यशास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखने वाला हूँ और इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से भी इस बिल में प्रस्तुत प्रस्तावों का मैंने अनुशीलन किया है जिसका परिणाम मैं जनता के सन्मुख रखने का प्रयत्न करूंगा। किंतु मैं इस प्रथम लेख में यह दिखाना चाहता हूँ कि इस ‘हिन्दू कोड बिल’ के निर्माता या समर्थक ‘हिन्दू धर्म’ और संस्कृति का नाश करना चाहते हैं, उन्हें ‘हिन्दू धर्म’ से कोई प्रेम नहीं इत्यादि जो अप्रचार किया जा रहा है वह कितना असत्य है ?

इस बिल की धारा 78 में लिखा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस धारा के विधनों के अधीन किसी नाबालिग का वली (संरक्षक) होने का अधिकार नहीं रखेगा :

(अ) 'यदि वह हिन्दू धर्म को त्याग चुका है' इत्यादि ।

धारा 81 में 'स्वाभाविक बली का अधिकार सत्ता का खण्डन' शीर्षक के नीचे लिखा है-जहां पर कि किसी नाबालिग हिंदू का स्वाभाविक वली ऐसे नाबालिग की संरक्षकता किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, वह निम्न अंकितों को छोड़ कर खण्डन योग्य होगा:

(क) जहां पर कि उसको खण्डित करने की स्वीकृति देना नाबालिग के हित लाभ के लिए नहीं है अथवा (ख) जहां पर कि स्वाभाविक वली हिंदू धर्म को त्याग चुका है।

धारा 83 में लिखा है- "किसी नाबालिग हिंदू के वली का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे नाबालिग का हिंदू के रूप में पालन-पोषण करे"।

गोद लेने के विषय में विधवा के अधिकार की समाप्ति विषयक धारा 61 में लिखा है कि एक विधवा का गोद लेने का अधिकार समाप्त हो जाता है:

(क) जब कि वह पुनर्विवाह कर लेती है।

(ख) जब हिंदू धर्म को त्याग देती है। गोद देने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति इस शीर्षक की धारा 62, उपधारा (3) में लिखा है कि माता बच्चे को गोद दे सकेगी:

(क) यदि बच्चे का पिता मर चुका है।

(ख) यदि वह पिता हिन्दू धर्म को त्याग चुका है इत्यादि। प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) की रिपोर्ट में ऊपर उद्धृत धारा 78 के विषय में सदस्यों ने लिखा है कि 'हम समझते हैं कि जो व्यक्ति हिन्दू धर्म को या इस संसार को त्याग चुका है उसे किसी नाबालिग हिन्दू का स्वाभाविक वली (संरक्षक) बनने का अधिकार न होना चाहिए।'

पत्नी का भरण-पोषण, इस शीर्षक की धारा 126 में लिखा है कि निम्नलिखित दशाओं में जीविका प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित हुए बगैर भी उससे अलग रहने का एक हिंदू पत्नी अधिकार रख सकती है यदि (ए) वह धर्म परिवर्तन द्वारा अन्य धर्मावलम्बी बन कर अहिंदू बन चुका है इत्यादि। उपधारा (3) में लिखा है कि यदि कोई हिंदू पत्नी अपतिव्रता है अथवा धर्म परिवर्तन द्वारा अन्य धर्मावलम्बी बन कर अहिंदू बन चुकी है, तो उस हालत में उसे अलग रहने तथा भरण-पोषण हासिल करने का अधिकार नहीं होगा।

धारा 120 का धर्मपरिवर्तन करने वाला दाय ग्रहण की योग्यता नहीं रखता, इस शीर्षक के नीचे लिखा है कि जहां इस कोड के प्रारम्भ होने से पहिले या बाद कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मावलम्बी बन जाने के कारण हिंदू न रह गया हो या अहिन्दू बन चुका हो तो इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के पश्चात् उस पुरुष या उस स्त्री से जो बच्चे उत्पन्न होंगे, तथा उनकी सन्तान अपने किसी हिन्दू सम्बन्धी की सम्पत्ति को

ANNEXURE II

1333

प्राप्त करने का अधिकार न रखेगी जब तक कि ऐसे बच्चे या सन्तान उत्तराधिकार शुरू होने के समय हिन्दू नहीं है।

ऐसे अन्य उद्धरण भी अनेक दिये जा सकते हैं जिनसे स्पष्ट है कि हिन्दू कोड बिल के निर्माताओं ने हिन्दुत्व की रक्षा का विशेष ध्यान रखा है तथा उन्हें हिन्दू धर्म से प्रेम है, यद्यपि उसमें सुधार की आवश्यकता को वे अवश्य अनुभव करते हैं जिसका उद्देश्य भी वस्तुतः हिन्दू धर्म और जाति का उद्धार ही है।

इस विषय में माननीय डा. अम्बेडकर आदि से हुई बातचीत के आधार पर मैं निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि वे हिंदू जाति को एकसूत्र में लाने और उसके संगठन को दृढ़ करने के लिए ही इस हिन्दू कोड बिल को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें हिन्दुओं के अन्दर, धारा 2 में दी परिभाषा के अनुसार न केवल वे व्यक्ति आते हैं जो हिन्दू धर्म के किसी भी स्वरूप या संप्रदाय को मानते हैं, किन्तु बौद्ध, जैन या सिक्ख धर्म के अनुयायी अथवा हिन्दू धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति भी आते हैं। आदिवासी तथा अन्य भी इस परिभाषा में हिन्दुओं के अन्दर ही माने गये हैं।

विशाल दृष्टि से देखने पर निष्पक्षपात विचारकों को ऐसे एक सर्वसामान्य कोड का महत्व ज्ञात हो सकता है। भिन्न-भिन्न स्थानों और जातियों के रीति-रिवाजों ने विशाल हिन्दू को कैसे छिन्न-भिन्न कर रखा है यह बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि झूठे नारे लगाने और इस बिल का पूर्ण विरोध करने की भावना को छोड़ कर लोग इस बिल की धाराओं का निष्पन्न होकर अध्ययन करें और तब ऐसे निर्देश अथवा संशोधन प्रस्तुत करें जिससे यह अधिक उपयोगी और लाभकारक बन सके। डा. अम्बेडकर तथा अन्य सदस्य ऐसे क्रियात्मक निर्देशों का स्वागत करने को उद्यत हैं।

●●

(हिन्दू कोड बिल पर कुछ विचार-2)

विवाहसंबंधी धाराएं

पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति

प्रथम लेख में मैंने पाठकों से निवेदन किया था कि 'हिन्दू कोड बिल का उद्देश्य हिन्दू धर्म, समाज और संस्कृति का सर्वनाश करना है' इत्यादि कल्पित, असत्य नारों पर विश्वास न करके उन्हें निष्पक्षता होकर गम्भीर भाव से हिन्दू कोड बिल की भिन्न 2 धाराओं पर विचार करना चाहिये। इस लेख में मैं विवाह विषयक धाराओं पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ।

विवाह को शास्त्रीय और सिविल इन दोनों भागों में विभक्त करते हुए शास्त्रीय विवाह की शर्तें धारा 7 में निम्नलिखित मानी गई हैं:-

धारा 7-यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं तो किन्हीं भी दो हिन्दुओं में शास्त्रीय रीति के अनुसार विवाह सम्पन्न हो सकेगा:-

(1) यदि दोनों पक्षों में विवाह के समय पर कोई पक्ष भी पति अथवा पत्नी नहीं रखता।

(2) यदि दोनों पक्षों में विवाह के समय कोई जड़ बुद्धि या पागल नहीं है।

(3) यदि विवाह के समय वर अठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और वधू 14 वर्ष आयु पूरी कर चुकी है।

(4) यदि दोनों पक्ष परस्पर निषेधात्मक सम्बन्ध की कोटियों के अन्तर्गत नहीं आते।

(5) यदि दोनों पक्ष आपस में परस्पर सपिण्ड नहीं हैं और यदि पारस्परिक आचार और परम्परा के अन्तर्गत दोनों पक्षों में ऐसा संस्कार जायज (वैध) मानने की प्रथा न हो।

(6) जहां वर या वधू 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुकी हैं उसके संरक्षक को स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

सपिण्ड सम्बन्ध की परिभाषा और व्याख्या करते हुए धारा 5 में कहा गया है कि,-

(1)(क) सपिण्ड सम्बन्ध का अर्थ अपने मातृकुल की तीन पीढ़ी तक और पितृकुल की 5 पीढ़ी तक होगा।

(ख) दो व्यक्ति उसी अवस्था में परस्पर सपिण्ड कहे जाते हैं यदि वे, एक दूसरे के वंश-परम्परा से सपिण्ड सम्बन्ध की सीमा के भीतर समर्वशज हैं अथवा यदि वे दोनों सपिण्ड सम्बन्ध की सीमा के भीतर सम्मिलित वंश परम्परागत आपस में एक दूसरे के साथ समान वंशज के रूप में हैं।

(ग) निषिद्ध सम्बन्ध का क्रम ... दो व्यक्तियों का उस अवस्था में निषिद्ध सम्बन्ध कहा जाता है यदि दोनों में से एक वंशानुक्रम से दूसरे का पुरखा हो, अथवा वंशानुक्रम से पुरखे या संतति की पत्नी या पति रहा हो, अथवा वे दोनों भाई-बहन, चाचा-भतीजी और चाची-भतिजा अथवा भाईयों व बहनों की संतति हों।

स्पष्टीकरण:- वाक्य खण्ड 1 और 2 में ये सम्बन्ध भी शामिल हैं। (अ) ऐसा सम्बन्ध जो कि अर्धरक्तयुक्त सहोदर रक्तयुक्त है।

(2) धर्मज तथा अधर्मज सन्तति सम्बन्ध।

(3) दत्तक अथवा रक्त सम्बन्ध।

उक्त वाक्य-खण्डों में कथित सभी सम्बन्धोत्पत्तक शब्दों का इसी प्रकार अर्थ समझा जायेगा। पाठक देखेंगे कि शास्त्रीय विवाह के लिए जो शर्तें उपर वर्णित की गई हैं वे अधिकतर वही हैं जिन्हें धार्मिक दृष्टि से अब भी प्रायः मान्य समझा जाता है। अन्तर थोड़ा सा है। “पंचमात् सप्तमादूर्ध्वमातृतः पितृतस्तथा”। इत्यादि स्मृति वचनों में मातृकुल और पितृकुल की क्रमशः 5 और 7 पीढ़ियों को सपिण्ड मानकर उन्हें छोड़ने का विधान है यद्यपि स्मृति चन्द्रिका, चतुर्विंशति मत संग्रहादि में 3 और 5 तक ही सपिण्डता मानी गई है कई पौराणिक ग्रन्थों में तो सपिण्डता का और भी अधिक संकोच करते हुए मामा की लड़की इत्यादि से भी विवाह को उचित माना गया है और दाक्षिणात्यों में कई स्थानों पर वैसी ही प्रथा है। इसलिए कोड बिल में मध्यमार्ग को ग्रहण किया गया है। यदि 3 और 5 पीढ़ियों के स्थान पर मातृकुल और पितृकुल की क्रमशः 5 और 7 पीढ़ियों को छोड़ा जाय तो अधिक शास्त्रीय होगा इसमें सन्देह नहीं। किंतु यह कहना कि इस कोड बिल के अनुसार भाई बहिन का विवाह भी वैध समझा जायेगा, जैसे कि कोड विरोधी लोगों ने कुछ पत्रों और पोस्टर आदि में प्रकाशित किया था सर्वथा असत्य है, यह तो स्पष्ट ही है। मेरे विचारानुसार शास्त्रीय विवाह के नियमों में यदि दोनों पक्ष परस्पर सपिण्ड नहीं हैं। इसके बाद धारा 7 उपधारा 5 में यह जो अपवाद रखा गया है कि यदि पारस्परिक आचार-परम्परा के अन्तर्गत दोनों पक्षों में ऐसा संस्कार वैध या जायज मानने की प्रथा न हो ये शब्द भी उड़ा देने चाहिए जिससे एकरूपता की रक्षा के अतिरिक्त सपिण्डों अथवा निकट सम्बन्धियों में विवाह के निषेध विषयक शास्त्रोक्त वैज्ञानिक आज्ञा का पालन हो सके।

अनेक हिंदू कोड बिल विरोधी कितने असत्य और छल का आश्रय ले रहे हैं इसका एक और अति स्पष्ट उदाहरण दिए बिना मैं नहीं रह सकता। ऊपर शास्त्रीय विवाह की शर्तों के विषय में मैंने जिस धारा संख्या 7 को उद्धृत किया है उसमें चौथी शर्त मूल अंग्रेजी में इन शब्दों में है (4) The parties are not within the degrees of prohibited relationship हिन्दू कोड विरोधी समिति कलकत्ता ने हिन्दू कोड बिल का जो कुछ अनुवाद हिंदी में छपाया उसमें पृ. 5 पर इसका अनुवाद इस प्रकार दिया:-

दोनों ही पक्ष (वर-वधू) निषिद्ध सम्बन्ध के क्रम में आते हों। मूल का अर्थ ‘निषिद्ध सम्बन्ध के क्रम में न आते हों’ यह है। किन्तु अनुवादक महाशय जनता में उसके विरुद्ध भावना भरने के लिए उसके “न” को खाकर अनुवाद कर बैठे हैं कि शास्त्रीय विवाह वह होगा जहां दोनों पक्ष निषिद्ध सम्बन्ध के क्रम में आते हैं। यह मानना बड़ा कठिन है कि यह छापे की भूल है। मुझे तो इसमें स्पष्ट ही शरारत प्रतीत होती है। इस अनुवाद के अन्तिम पृष्ठ पर लिखा है ‘प्रत्येक हिंदू चेत जाए। हिंदू कोड बिल हिंदू समाज और

संस्कृति का तख्ता ही उलट देने का भयानक कुचक्र है।' मैं इस बात का निर्णय पाठकों पर छोड़ना चाहता हूँ कि क्या ऐसे असत्य से हिंदू समाज और संस्कृति की रक्षा हो सकती है?

बहुविवाह का पति-पत्नी दोनों के लिए निषेध करके वस्तुतः "जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्" "इहेमाविन्द्र संनुद चक्रवाकेव दम्पती" इत्यादि वेद मंत्रों में स्पष्टतया निर्दिष्ट एक विवाह के आदर्श की ही समर्थन किया गया है। "संमतपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः" इत्यादि वेद-मंत्रों में सपत्नीत्व को अत्यन्त दुःखदायक बताया गया है। दुर्भाग्यवश कुछ शिक्षित युवक-युवतियों में भी यह बहुविवाह की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और उसके भयंकर परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे थे अतः इस प्रकार का प्रतिबन्ध आवश्यक ही था। वर्तमान हिंदू कानून के अनुसार पुरुष जितने चाहे विवाह कर सकता था जिसके कई उदाहरण देहली के सम्पन्न तथा प्रतिष्ठित समझे जाने वाले व्यक्तियों में भी विद्यमान है। एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना प्रथम पत्नी को विष देने के समान है यह लिखने की आवश्यकता नहीं।

न्यूनतम आयु के विषय में यहां वर-वधू के लिए 18 और 14 को नियत किया गया है जिसे हम सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं। हमारे विचार में तो 24 और 16 से कम विवाहार्थी वर-वधू की आयु न होनी चाहिए। 'अष्टवर्षा भवेद् गोरी' जैसे वेद विरुद्ध श्लोकों को मानने वाले इस अंश का भी विरोध करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

विवाह विषयक इन धाराओं में जातिमूलक भेदभाव को जो स्वीकार नहीं किया गया इस से कई कट्टरपन्थी भले ही अप्रसन्न हों किन्तु जो विचारशील लोग हैं जानते हैं कि इस कृत्रिम, जन्ममूलक जातिभेद ने किस प्रकार हिंदू समाज को 8 हजार के लगभग जातियों-उपजातियों में विभक्त कर के उस की एकता, संगठन और परस्पर प्रेम को नष्ट कर रखा है तथा किस प्रकार यह जाति-भेद 'अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो वावृधुःसौभगाया' (ऋ. 5/56/5) 'शूद्रो ब्राह्मणतामेति, ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम् (मनु 10/46), न जात्या ब्राह्मणश्चात्र, क्षत्रियो वैश्य एव न । न शूद्रो न च वै म्लेंच्छो भेदिता गुणकर्मभिः॥' शुक्रनीति, 'न कुलेन न जात्या वा, क्रियाभिर्ब्राह्मणो भवेत्।' (महाभारत वनपर्व) इत्यादि शास्त्रीय वचनों के सर्वथा विरुद्ध है जहां वर्णव्यवस्था को केवल गुण कर्मानुसार बताया गया है तथा जन्म की दृष्टि से सब मनुष्यों की समानता का प्रतिपादन है उन्हें इससे जरा भी दुःख न होगा । वर्ण-व्यवस्था को गुणकर्मानुसार मान लेने पर (जिस सिद्धांत की सनातनता की घोषणा गत वर्ष काशी आदि स्थानों की, विद्वन्मंडली भी कर चुकी है) विवाह में जाति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वस्तुतः अन्तरजातीय विवाहों के समर्थन में अनेक शास्त्रीय वचनों और ऐतिहासिक उदाहरणों को प्रस्तुत किया जा सकता है किंतु विस्तारभय से मैं यहां ऐसा करना अनावश्यक समझता हूँ। जो भाई जन्म-मूलक जातिभेद को मानते हैं, इस कोड में उन के लिए कोई प्रतिषेध नहीं है। उनकी अपने विश्वासानुसार विवाहादि करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है।

ANNEXURE II

1337

इस प्रस्तुत कोड में सगोत्र विवाह का प्रतिपादन किया गया है यह कह कर हिन्दू जनता को इसके विरुद्ध प्रायः भड़काया जाता है, किंतु इस में कोई ऐसी धारा नहीं है जहां सगोत्र विवाह का प्रतिपादन या समर्थन हो। केवल एक धारा स. 27 है जिसका शीर्षक “पहले विवाहों के विषय में छूट” यह है, जिस में कहा गया है कि “ऐसा विवाह जो कि इस कोड के आरम्भ होने से पहले दो हिन्दू में सम्पूर्ण हो चुका है और जो कि किसी दूसरे तौर पर जायज वा वैध है वह नाजायज नहीं होगा और कभी भी केवल इस हेतु तथा हकीकत पर नाजायज या अवैध न हों विचारा जायेगा कि दोनों पक्ष समान गोत्र अथवा समान प्रवर रखते थे अथवा भिन्न जाति अथवा समान जाति में से विभक्त उपजाति से सम्बन्ध रखते थे।

यह धारा इस कोड के प्रारम्भ से पूर्व सम्पन्न विवाहों के विषय में है। कहां तो एक ओर हिन्दू कोड बिल के विरोधी सनातन धर्म के नाम पर विवाह सम्बन्ध की अच्छेद्यता की दुहाई देते हैं और कहां वे ऐसी धारा का विरोध व खण्डन करते हैं जिस में केवल सगोत्रता वा जाति-भिन्नता के आधार पर पूर्व सम्पन्न विवाहों को अवैध मानने से इन्कार किया गया है यह परस्पर-विरुद्धता आश्चर्यजनक है।

हम स्वभावतः यह चाहते हैं कि सब लोग शास्त्रीय विवाह ही करें और इसी के लिए हम सब को उसका महत्त्व बुद्धिपूर्वक समझा कर प्रेरित करना चाहिए किंतु जो ऐसा किसी कारणवश नहीं करना चाहते उनके लिए सिविल विवाह की पूर्वोद्धृत शर्तों के अनुसार ही व्यवस्था की गई है केवल इतनी शर्त उसमें और जोड़ी गई है कि ‘विवाह के दोनों पक्षों में यदि वर अथवा वधू आयु के 21 वर्ष पूरे नहीं कर चुके तो ऐसी स्थिति में इस विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो’ सिविल विवाह का भी यह अर्थ इस कोड के अनुसार नहीं है कि उसमें कोई धार्मिक विधि व क्रिया न हो। धारा 18 खंड 2 में स्पष्ट लिखा है कि विवाह किसी भी रीति अनुसार सम्पूर्ण हो सकेगा किंतु शर्त यह है कि यह विवाह तब तक पूर्ण और पक्षों को कानूनी बन्धन में जकड़ने वाला नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक पक्ष रजिस्ट्रार और 3 साक्षियों के सम्मुख ऐसा नहीं कहता कि मैं मुझको अपनी कानूनसंगत पत्नी (अथवा पति) बनने के लिए ग्रहण करता (या करती) हूँ।

वस्तुतः विवाह मन्त्रों में यह भाव स्पष्टतया समाविष्ट है। एक मुख्य बात यह है कि अब सिविल विवाह के लिए पूर्ववत् यह कहने की आवश्यकता न होगी कि मैं हिन्दू धर्म या अन्य किसी स्वीकृत धर्म को मानने वाला नहीं।

●●

(हिन्दू कोड बिल पर कुछ विचार-3)

विवाह-विच्छेद की परिस्थितियां

पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति

इस तृतीय लेख में मैं विवाह संबन्ध विच्छेदादि विषयक धाराओं पर कुछ विचार करना चाहता हूँ जो मुख्यतया निम्न हैं—

धारा 30—कोई ऐसा विवाह, चाहे वह इस कोड में आरम्भ होने से पहले अथवा बाद में सम्पूर्ण हो चुका है, निम्नांकित आधारों में से किसी एक के कारण खत्म हो जायेगा।

(1) यदि ऐसे विवाह के समय पर और तब से लेकर लगातार इस सम्बन्धी अदालती कार्यवाही के आरम्भ तक विवाह के दोनों पक्षों में से कोई एक नपुंसक था।

(2) यदि पति किसी स्त्री को रखेली के रूप में रख रहा है अथवा पत्नी किसी पर पुरुष की रखेली बन कर रह रही है या वेश्या का जीवन व्यतीत कर रही है।

(3) यदि विवाह के दोनों पक्षों में से कोई पक्ष दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है और हिन्दू धर्म को त्याग देता है।

(4) यदि विवाह के दोनों पक्षों में एक पक्ष असाध्यरूप में उन्मत्त या पागल है और ऐसे प्रार्थनापत्र के देने के पहले निरन्तर पांच वर्ष के लिए उसका इलाज किया जा चुका है।

(5) यदि दोनों पक्षों में कोई एक बड़े भयानक और असाध्य प्रकार के कुष्ठ से पीड़ा उठा रहा है।

पूर्व इसके कि मैं इस अत्यन्त विवादास्पद और गंभीर विषय पर वैयक्तिक रूप से अपने विचार जनता के सामने रखूँ, मैं यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूँ कि वैदिक आदर्श के अनुसार पति पत्नी सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होना चाहिए। पाणिग्रहण से समय जो मन्त्र 'गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । भगो अर्यमा सविता पुरन्धिमह्य त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः। (ऋ. 10, 85, 36) 'मभेयमस्तु पोष्या मह्य त्वादाद् वहस्पतिः । मया पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम् ॥ (अथर्व 14, 1, 52)

इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं उनमें वर वधू को संबोधित करते हुये स्पष्ट कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ को सौभाग्य की वृद्धि के लिए ग्रहण कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ वृद्धावस्था पर्यन्त सुखपूर्वक निवास करो। तुम मेरी पोष्या या भार्या हो। परमात्मा ने तुम्हें मुझे दिया है। मुझ पति के साथ तुम 100 वर्ष पर्यन्त सुख शान्ति पूर्वक रहो।

(1) “आ नः प्रजां जनयतु प्रजा पतिराजसाय समनक्त्वर्यमां। अदुर्भमंलीः पतिलोकमाविशं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥” (ऋ. 10/85/43)

(2) “इहैवस्तं मावियौष्ट विश्वमायुर्व्यश्नुतम्।

क्रीडन्तो पुत्रैर्नपुत्रभिर्मोदमानौ स्वे गृहे॥” (ऋ. 10/85/42)

इत्यादि विवाह सूक्त के अन्य मन्त्रों में भी यह स्पष्टतया कहा गया है कि परमात्मा हमें वृद्धावस्था पर्यन्त सदा मिलाये रखे। हे पति-पत्नि! तुम दोनों यहां रहो। (मावियौष्टम्)

तुम्हारा एक दूसरे से कभी वियोग व विरोध न हो अथवा तुम एक दूसरे का परित्याग न करो। घर में प्रसन्न होकर सम्पूर्ण आयु को आनन्दपूर्वक बिताओ, इत्यादि।

वैदिक आदर्श के अनुसार निम्न नियम आवश्यक हैं—

(1) कम से कम 24 वर्ष तक पुरुष और 16 वर्ष तक कन्या पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तभी एक दूसरे की प्रसन्नता से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें।

(2) विवाह युवावस्था में स्वयंवर रूप में होना चाहिये, जब परस्पर दृढ़ कामना हो तभी विवाह होना चाहिए अन्यथा नहीं। यह भाव ‘**एयमगन् पति कामा जनिकामोऽहमागमम् ।**’ (अथर्व वेद) ‘**वधूरियं पति मिच्छन्त्येति॥** (ऋ. 5/37/3) ‘**भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशा स्वयं सा मित्र वनुते जने चित् ॥** (ऋ. 10/27/12)

इत्यादि वेद मन्त्रों में स्पष्टतया प्रतिपादित है। दोनों अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को जानते हुए परस्पर प्रसन्नतापूर्वक विवाह करते हैं।

(3) पुरुष को पत्नीव्रत धर्म का और स्त्री को पतिव्रत धर्म का भली भांति सदा पालन करना चाहिए। परस्पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उन्हें धर्म, अर्थ, काम में पूर्ण सहयोग देना चाहिये।

यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि इन वैदिक आदर्शों का पालन करते हुए विवाह सम्बन्ध विच्छेदादि का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। किन्तु दुर्भाग्यवश इन आदर्शों और नियमों से जनता बहुत दूर जा चुकी है। न ब्रह्मचर्य का क्रम रहा, न वेदाध्ययनादि का और न अन्य वैदिक नियमों का पालन किया जाता है जिस से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का विकास हो सके। ऐसी दशा में प्रश्न उपस्थित होता है कि जो अवस्थाएँ धारा 30 में वर्णित हैं उन में क्या किया जाए।

मध्यकाल में जो भी स्मृतियाँ लिखी गईं तथा अन्य ग्रन्थ बनाए गए उन में वैदिक आदेशों के विरुद्ध बहुत सी बातें पाई जाती हैं जिन को प्रामाणिक मान कर बाल्य विवाह प्रचलित हो गया, स्त्रियों से वेदाध्ययन और यज्ञ का अधिकार छीन लिया गया, विवाह केवल माता पिता या अधिकतर अशिक्षित पुरोहित या नाई आदि की इच्छा से होने लगे जिनमें गुणकर्म स्वभाव के मेल का विचार न करके केवल जाति उपजाति की समानता का ध्यान रखा गया। ऐसी अवस्था में जो शोचनीय परिस्थिति उत्पन्न हो गई उसको सुधारने की आवश्यकता से कोई विचारशील व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। बाल्य विवाह का ही कुपरिणाम बाल्य मरण, निर्वीर्यता व नपुंसकता आदि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। पति-पत्नी के कलह तथा पतियों द्वारा विवाहित पत्नियों के त्याग, उन से क्रूरतापूर्ण व्यवहार अथवा पुनर्विवाह आदि के सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण किसी भी नगर में सुगमता से पाये जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में क्या वैदिक आदर्शों अथवा सनातन धर्म की दुहाई देने से काम नहीं चल सकता है? इस प्रश्न पर समाज-हितैषियों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रतिकार का अवलम्बन किया जाए वह कहीं वर्तमान अवस्था को और भी बिगाड़ने वाला न हो।

(हिन्दू कोड बिल पर कुछ विचार-4)

विवाह-विच्छेद और स्मृति आदि ग्रंथ

पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति

प्रायः कहा जाता है कि विवाह सम्बन्ध विच्छेद (जिसे साधारणतया तलाक के नाम से कहते हैं) हिन्दू धर्म तथा हिन्दू समाज की भावना के सर्वथा विरुद्ध तथा उसके लिए सर्वथा नवीन प्रथा है जिसको इस बिल द्वारा हिन्दू समाज पर लादा जा रहा है। यही बात भारतीय राष्ट्र भारतीय राष्ट्र संसद (पालियामेंट) में पं. लक्ष्मीकान्त मैत्रादि अनेक सज्जनों ने बार बार कही थी किन्तु स्मृतिग्रन्थों तथा मध्यकालीन अन्य साहित्य का निष्पक्षपात अनुशीलन करने पर इसकी असत्यता स्पष्ट ज्ञात है। जैसे कि इस लेख के प्रारम्भिक भाग में मैं दिखा चुका हूँ वैदिक आदर्शों का अनुकरण करते और विवाह विषयक वैदिक नियमों का पालन करते हुए तो विवाह सम्बन्ध विच्छेद का प्रश्न ही नहीं उठ सकता किन्तु उन आदर्शों से दूर होने और वेद विरुद्ध प्रथाओं के अनुसरण के कारण जो शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो चुकी है हमें तो इस समय उसपर विचार करना है। निम्नलिखित स्मृत्यादि वचनों को इस सम्बन्ध में ध्यान में रखना चाहिए। सब से पूर्व मैं उस स्मृति वचन को उद्धृत करता हूँ जो सुप्रसिद्ध है :

(1) “नष्टे मृते प्रव्रजिते, क्लीबे च पतिते पतौ । पंचस्वापत्सु नारीणां, पतिरन्यो विधीयते॥”

यह श्लोक पराशरस्मृति के अ. 4 का श्लोक 30 है। पराशरस्मृति के ‘कलौ पराशरः स्मृतः’ अथवा ‘कलौ पराशरी स्मृतिः ॥’ इत्यादि के अनुसार इस कलियुग में हमारे पौराणिक भाई जो हिन्दू कोड बिल का विरोध कर रहे हैं सब से अधिक प्रामाणिक मानते हैं। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है कि—

पति के नष्ट हो जाने (उनके गुम हो जाने अथवा उसके विषय में कोई समाचार ज्ञात न होने), मर जाने, संन्यासी हो जाने, नपुंसक होने अथवा पतित हो जाने पर—इन पांच आपत्तियों में स्त्रियों के लिए दूसरे पति का विधान किया जाता है।

हिन्दू धर्म का परित्याग करके मुसलमान व ईसाई हो जाना श्रद्धालु हिन्दुओं की दृष्टि में पतित हो जाना है! अतः धारा 30 में वर्णित अनेक बातों का इसे आधार कहा जा सकता है इसमें कोई सन्देह नहीं।

मुझे मालूम है कि पौराणिक भाष्यकार तथा भाई इस श्लोक के ‘पतौ’ का अर्थ विवाहित पति नहीं किन्तु उत्पत्त्यमानपति’ या भावी पति करके इस श्लोक का सम्बन्ध विवाह संस्कार से पूर्व केवल वाग्दान की अवस्था में मानते हैं और व्याकरण की दृष्टि से तोड़ मरोड़ कर ऐसा अर्थ करने का दुःसाहस करते हैं। किन्तु ‘पतिः अन्यो विधीयते’ इन शब्दों से जिनका अर्थ सिवाय इसके कोई हो ही नहीं सकता कि दूसरे पति का विधान किया जाता है उनके इस प्रयत्न की निस्सारता सिद्ध होती है। यहां ‘पतौ’ इसको आर्षप्रयोग मानना ही उचित है। इस पर भी यदि किसी को सन्देह हो तो नारदीय मनुसंहिता अध्याय 12 के श्लोक 99 को देखना चाहिए जो निम्न शब्दों में है :